न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 103/2008 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2008/00012

उनवान

विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री सुम्मेरा जाति जाटव निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....................अपीलाण्ट

बनाम

1. विजयपाल पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवासी जघीना हाल कवई तहसील नदबई (मृतक)
   - 1/1. सुनीता पत्नी स्व0 विजयपाल
   - 1/2. दीवान उम्र 8 साल
   - 1/3. देवराज उम्र 6 साल
   - 1/4. कुसुम उम्र 5 साल

   (1/2 से 1/4) पुत्र/पुत्री विजयपाल अल्पवयस्क द्वारा माँ सुनिता
2. भूरा पुत्र सुम्मेरा
3. चन्दा बेवा मनोहरी

   (1/1 से 3) जाति जाटव नि0 कवई तहसील नदबई, भरतपुर।
4. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई द्वारा प्रबन्धक।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2007 प्रकरण संख्या 334/06 उनवान विजय सिंह बनाम विजयपाल सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई।

उपस्थित :—

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0 ।

निर्णय

दिनांक :—18-10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 20.022007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 4 कुल रकवा 1.99 है0 वाके ग्राम कवई हल्का प्रथम तहसील नदबई में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 4/9—4/9 हिस्से के सहखातेदार व काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। शेष 1/9 हिस्से पर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 खातेदार की तरह काबिज है। वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 के पिता एवं प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 03 के पति सुम्मेरा की पहली विवाहिता पत्नि कलावती के फौत होने के बाद

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

वादी/अपीलाण्ट का पिता ग्राम जघीना तहसील भरतपुर के मृतक मनोहरी की विधवा चन्दा को अपनी पत्नि के रूप में ले आया। उक्त चन्दा के साथ उसके पूर्व पति मनोहरी के अंश से पैदा हुये एक लडका विजयपाल व एक लडकी लच्छो भी साथ में आये। जिनमे लच्छो बडी थी जो कि 5 साल की उम्र की थी व विजयपाल जो प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 है 2.5 साल का आया। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 का विवाह ना होने की वजह से वादी/अपीलाण्ट के पिता सुम्मेरा ने उसे हाल खसरा नम्बर 1679 का रजिस्टर्ड वयनामा करा दिया एवं लच्छो का देहान्त उसकी 6 वर्ष की उम्र में हो गया था। वादी/अपीलांट की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी उनके कायम मुकाम वारिसान वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 व 03 हैं। चूंकि विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी संख्या 02 को जन्म लेते ही उसमें अपने पिता सुम्मेरा पुत्र खिल्लू के साथ 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 02 व 03 का वहिस्साबराबर का हिस्सा है। यानि कि 1/9–1/9 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 02 का 4/9 व प्रतिवादी/रैस्पो0 03 का 1/9 हिस्से की खातेदारी है एवं इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 का विवादित आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी प्रतिवादी/रैस्पो0 सख्या 01 ने शेष प्रतिवादी/रैस्पो0 से साजकर अपने नाम मृतक सुम्मेरा द्वारा छोडी गयी आराजी पर गलत तौर पर विरासत का दाखिला खारिज खुलवाकर इन्द्राज खातेदारी विरासत से कराने के प्रयास में है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने एवं विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2007 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी बाबत् जो राजीनामा पेश हुआ है वह कतई गलत एवं अवैध है। पक्षकारो में ऐसा कोई राजीनामा नहीं हुआ है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट 3/4 हिस्से का व रैस्पो0 संख्या 02 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। रैस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4 व रैस्पो0 संख्या 03 का इस आराजी के किसी भाग से कोई संबंध नहीं है। इसलिये कथित राजीनामा एक अवैध हस्तान्तरण की संज्ञा में आता है। विवादित आराजी पैतृिक आराजी है जिसमें 1/2 हिस्सा पर अपीलाण्ट को जन्म से व 1/4 हिस्सा पर स्व0 सुम्मेरा के मरने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। चूंकि रैस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4 का पति/पिता विजयपाल पुत्र मनोहरी जघीना का पुत्र था और रैस्पो0 संख्या 03 सुम्मेरा की धरेजा औरत के साथ आया था। इसलिये उन्हें कोई अधिकार विवादित आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं। रैस्पो0 संख्या 03 सुम्मेरा की विधवा ना होकर मनोहरी की विधवा है क्योंकि सुम्मेरा के साथ उसका विवाह नहीं हुआ था वह नाते बैठी थी। इसलिये रैस्पो0 संख्या 02 का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है शेष रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि कानूनी विशेषज्ञ द्वारा सलाह नहीं मिलने के कारण अपील पेश करने में देरी हुयी। दिनांक 03.10.2008 को कानूनी सलाह ली गई एवं बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की गयी। अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को शुरू से ही रही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 20.02.2007 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की गयी है एवं प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में उक्त देरी का समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है। गुणावगुण पर उनका कथन है कि अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 के मध्य दिनांक 20.02.2007 को राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक कर दिनांक 20.02.2007 को अपीलाण्ट का दावा व रूपये राजीनामा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट स्वयं हाजिर हुआ है और राजीनामा पर उसके हस्ताक्षर अंकित है जिनको श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट द्वारा आईडैन्टीफाई किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विजयपाल मनोहरी का लडका हो ऐसा भी कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि शेष नहीं रहती है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि कानूनी विशेषज्ञ द्वारा सलाह नहीं मिलने के कारण अपील पेश करने में देरी हुयी। दिनांक 03.10.2008 को कानूनी सलाह ली गई एवं बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की गयी। हमने गौर किया। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिवस है। 60 दिवस के बाद अपील पेश करने के लिये प्रतिदिन का कारण मय साक्ष्य स्पष्ट करना विधिक अनिवार्यता है। अतः अपील प्रस्तुत करने में 01 साल 08 माह की अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः कानूनी सलाह आदि लेने के कथनो के आधार पर एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य, इतने दीर्घ विलम्ब पर, मियाद के बिंदु पर उन्हें कोई लाभ नहीं पहुँचाता है। अपील निश्चित रूप से मियाद बाहर है।

6. चूंकि अपील के गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसका विश्लेषण भी प्रासंगिक है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी/अपीलाण्ट विजय सिंह द्वारा दावे में राजीनामा पेश किया जाकर, राजीनामा के आधार पर ही उक्त दावे को इसी स्तर पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त राजीनामें पर वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण/रैसपो0 के हस्ताक्षर मौजूद हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उसी मुताबिक कानून तस्दीक किया गया है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि वादी की

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

पहचान लक्ष्मण सिंह एडवोकेट व प्रतिवादीगण की पहचान श्री पृथ्वी सिंह एडवोकेट ने की। राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया। अब वर्तमान में वादी/अपीलाण्ट ही हस्तगत अपील में उक्त राजीनामे को चुनौती देते हैं। हम पाते हैं कि अगर न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि पक्षकारो के बीच समझौता हो गया है, तो समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है लेकिन समझौता गैर कानूनी नहीं होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं वादी/अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पो0 से राजीनामा करते हुये, दावे को उसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त राजीनामा के आधार पर वादी/अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज किया है। जिसे हम किसी प्रकार की विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। हमने पत्रावली में उपलब्ध राजीनामे का भी अवलोकन किया। उक्त राजीनामा से विवादित आराजी बाबत् कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ है। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा भी हस्तगत अपील में यह अंकित नहीं किया है कि राजीनामा किस प्रकार अवैध है एवं किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2007 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर